अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
24/9/12	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल । वाद सं0- 388/ 12· धारा- 145 द0 प्र0 सं0 बद्री रजवार बनाम शान्ति देवी, वगैरह आ दे श इस वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर खाता नं0- 154, प्लॉट नं0- 476, रकबा- 12 डी0 चौहद्दी उ0- वशिष्ठ नारायण, द0- खरीददार -रंजु देवी, पू0- वृजनन्दन सिंह, पश्चिम- दुधेश्वर पासवान, मौजा- कोनी कुटी, थाना- मेहीन्दया, जिला- अरवल की भूमि पर प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए और प्रथम पक्ष द्वारा ब्यान-तहरीर तथा द्वितीय पक्ष की ओर से कार्रवाई समाप्त करने	ज्ञा0 352 दिनांक 12/10/12 [illegible] निर्गत किया गया।

अनुसूची14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3

हेतु धारा- 145 (5) द0 प्र0 सं0 का आवेदन दाखिल किये हैं।

प्रथम पक्ष अपने ब्यान-तहरीर में कहते हैं कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के पितामह के नाम से खीतयानी भूमि है और उक्त भूमि पर आवेदक का काफी वर्षों से दखल- कब्जा है। जो प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी फसल लगायी गइ है तथा काट- पीट लिया गया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। केवल लाठी, बन्दूक के बल पर प्रश्नगत भूमि को कब्जा करना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष अपने आवेदन में कहते हैं कि प्रश्नगत भूमि स्व0 देवी प्रसाद सिंह द्वारा हुकूमनामा से ता0 16 आश्विन, 1349 फसली को मिली है। जमींदारी रसीद 1350 फसली से 1360 फसली तक आवेदिका के नाम से है।जमींदारी

अनुसूची14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3

-3-

रिटर्न- 45272 / 5354 भी आवेदिका के नाम से है । जमींदारी रिटर्न (जमाबंदी) के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय का कानून है कि जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है । माननीय उच्च न्यायालय का 1999(2) पी॰एल॰जे॰आर॰ समीर कुमार मुखर्जी & अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार, पेज नं0- 409 से 414 में आदेश दिनांक- 02/ 04/ 1999 का उल्लेख द्वितीय पक्ष द्वारा किया गया । द्वितीय पक्ष कण्डिका- (07) में कहते हैं कि दिनांक- 26/ 12/ 11 को खाता नं0- 154, प्लॉट नं0- 476, रकबा- 0॰06 डी0 जमीन श्रीमती रंजु देवी, पति- कौशाल कुमार एवं इसी प्लॉट में 0॰06 डी0 जमीन दिनांक- 26/ 12/ 11 को श्रीमती कुसुम देवी, पति- शिव प्रसाद पासवान के हाथो बिक्री की है ।